

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II-
SECTION 3-SUB-SECTION (ii) Dated 16.3.1993

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 16th March, 1993.

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O.....In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Income-tax (...**Fifth**.....Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Part XII of the Income-tax Rules, 1962,-

(a) in rule 68, in sub-rule (1),-

(i) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

"(dd) for repayment of loan previously raised for the purpose of construction or purchase of a house";

(ii) for clause (g), the following ^{clause} shall be substituted, namely:-

"(g) to meet the expenses of the damage caused to the movable or immovable property of the employee as a direct result of -

(i) flood, cyclone, earthquake or other convulsion of nature: or

(ii) riot".

(iii) in clause (h), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(iv) to meet his household expenses where the employee is discharged or dismissed or retrenched by the employer and such discharge, dismissal or retrenchment, as the case may be, is challenged by the employee in any court or tribunal and the case is pending in that court or tribunal."

(b) in rule 69,-

(i) in sub-rule (1), after the words "The withdrawal", the words, figures, brackets and letter "in connection with expenses on illness" as specified in clause (a) of sub-rule (1) of rule 68 or" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), after the word, brackets and letter "clause (d)", the words, brackets and letter "and clause (dd)" shall be inserted;

(c) in rule 71, in sub-rule (1), for the words, brackets, letters and figure "clause (d) or clause (e) of sub-rule (1)", the words, brackets, letters and figure "clause (d) or clause (dd) or clause (e) or sub-clause (i) of clause (h) of sub-rule (1)" shall be ^{substituted.} ~~inserted.~~



(K.M.SULTAN)
Director (TPL-II)

Notification No. 9247
F. No. 153/16/92-TPL

तारीख

16 मार्च, 1993 में प्रकाशनाथ

~~SECRET~~

भारत सरकार

विच मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्षा कर बोर्ड

नई दिल्ली, तारीख

16 मार्च, 1993

७५८-२७८२-२
७५८, ७५९ (२७)

अधिसूचना

आय-कर

का. आ.

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा पृथक् शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए

निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त

नाम आय-कर (पाँचवां संशोधन) नियम, 1993 हे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख की प्रवृत्त होंगी ।

2- आय-कर नियम, 1962 के भाग XII में, -

(क) नियम 68 के उप-नियम (1) में, -

(1) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित

किया जाएगा, अर्थात् :-

• (घ) मकान के संनिर्माण या क्रय के प्रयोजन के लिए पहले लिए गए ऋण के प्रतिस्वामी के लिए ;

(11) लंद (ह) के स्थान पर, निम्नलिखित लंद रखा

जा रणा, अर्थात् :-

• (ख) (1) बाढ़, चक्रवात, भूकंप या अन्य प्राकृतिक
उपलब्ध; या

(ii) ବଳଦା,

के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप कर्मचारी के जमान या स्थावर संपत्ति को हुए नुकसान की पूर्ति के लिए व्यय करने के लिए ।

(111) खंड (ज) में, उप-खंड (111) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

- * (114) उसकी गृहस्थी के व्यय की पूर्ति^{करने} के लिए जहाँ कर्मचारी को नियोजक द्वारा सेवान्मुक्त या पदच्युत या हटनी कर दिया जाता है और यथास्थिति, ऐसी सेवान्मुक्ति, पदच्युति या हटनी के प्रति कर्मचारी द्वारा किसी न्यायालय या अधिकरण में आक्षेप किया जाता है और मामला उस न्यायालय या अधिकरण में लंबित है ।

(ख) नियम 69 में, -

- (1) उप-नियम (1) में, *नियम 68* शब्द और अंक के पहले *नियम 68 के उप-नियम (1) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट कर्मचारी के व्ययों के संबंध में या * शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (11) उप-नियम (2) में, *खंड (ख)* शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, *और खंड (घ)* शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) नियम 71 के उप-नियम (1) में, *उप-नियम (1) के खंड (घ) या खंड (ड0)* शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक के स्थान पर *उप-नियम (1) के खंड (घ) या खंड (घघ) या खंड (ड0) या खंड (ज) के उप-खंड (1)* शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।


(क. एम. सुल्तान)
निदेशक (टी पी एल-11)

फा0सं0 153,16,92-टी पी एल

9247